



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274046
CG-DL-E-03072026-274046

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3318]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948

No. 3318]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2026

का.आ. 3452(अ). — हिंदी केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में 'ग' क्षेत्र में स्थित (1) पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश और (2) कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारियों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद द्वारा अधिसूचित करती है:-

(1) पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश

(2) कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद

[फा. सं. ई-11011/1/2026-हिंदी]

सुनीता यादव, आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी

JAL SHAKTI MINISTRY
(Department Of Water Resources, River Development And Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2026

S.O. 3452(E).— pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rule. 1976 (as amended in 1987), the Central Government hereby notifies the (1) POLAVARAM PROJECT AUTHORITY, ANDRA PRADESH AND (2) KRISHNA RIVER MANAGEMENT BOARD, HYDRABAD, wherein more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi.

1. POLAVARAM PROJECT AUTHORITY, ANDRA PRADESH

2. KRISHNA RIVER MANAGEMENT BOARD, HYDRABAD

[F. No. E.11011/1/2026-Hindi]

SUNITA YADAV, Economic Adviser And Official Language Incharge